

न्यायालय-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
तहसील बैहर, जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-489 / 2012
 संस्थित दिनांक-25.06.2012

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बैहर,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

1-रूपलाल वरकडे पिता अमृतलाल, उम्र-42 वर्ष, जाति गोंड,
 2-सुशीलाबाई मरावी पत्नी संतलाल गोंड, उम्र-31 वर्ष (फरार घोषित)
 3-बलीराम अडमे पिता सहस्रसिंह गोंड, उम्र-35 वर्ष,
 सभी निवासी-ग्राम नेवरगांव, थाना बैहर,
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — अभियुक्तगण

// निर्णय //

(आज दिनांक-21 / 03 / 2018 को घोषित)

1- अभियुक्त बलीराम अडमें पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-341, 294 323/34, 506 भाग-2 का आरोप एवं अभियुक्त रूपलाल वरकडे पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 294 324, 506 भाग-2 का आरोप है कि अभियुक्त बलीराम ने घटना दिनांक-02.05.2012 को शाम 5:00 बजे, थाना बैहर अंतर्गत किसन गोंड के मकान के सामने रोड पर फरियादी यशोदाबाई को जिस दिशा में उसे जाने का अधिकार था, उस दिशा में जाने से रोककर सदोष अवरोध कारित कर अभियुक्त रूपलाल एवं अभियुक्त बलीराम ने घटना दिनांक-02.05.2012 को शाम 5:00 बजे, थाना बैहर अंतर्गत किसन गोंड के मकान के सामने रोड में लोक स्थान पर फरियादी यशोदाबाई को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर अभियुक्त रूपलाल वरकडे ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में आहत यशोदाबाई को दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित कर दोनो अभियुक्तगण ने अन्य अभियुक्तगण के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में आहत यशोदाबाई को लकड़ी व हाथ-मुक्के से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित कर फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2- प्रकरण में अभियुक्त सुशीलाबाई दिनांक-31.07.2017 के आदेश द्वारा फरार घोषित है।

3- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी यशोदाबाई ने पुलिस थाना बैहर में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी कि दिनांक-02.05.2012 को वह किराना सामान लेने गांव के चंडीप्रसाद राहंगडाले की दुकान पर जा रही थी, तभी शाम 5:00 बजे, किशन गोंड के मकान के सामने रोड़ पर अभियुक्त बलीराम अडमें फरियादी का रास्ता रोककर बोला कि नशाबंदी कराती है, नशाबंदी महिलाओं के साथ उसके घर शराब पकड़ने आई थी कहकर फरियादी का रास्ता रोककर मॉ-बहन की चोदू की अश्लील गालियां देकर फरियादी को उठाकर जमीन पर पटक दिया था एवं हाथ-मुक्कों से मारपीट करने लगा था। फरियादी को अभियुक्त सुशीलाबाई वरकड़े ने पीठ पर लकड़ी से मारा था तथा अभियुक्त रूपलाल वरकड़े ने फरियादी को मुंह, दांत से बाईं भुजा, बाएं पैर की जांघ में काट लिया था। घटना चंडिकाप्रसाद राहंगडाले ने देखी थी। फरियादी ने घटना के बारे में गोविंदराम पटेल, तूफानसिंह को बताया था। पुलिस थाना बैहर ने फरियादी की रिपोर्ट से अपराध क्रमांक-64/2012 का प्रकरण पंजीबद्ध कर फरियादी का मेडिकल परीक्षण कराकर अभियुक्तगण के विरुद्ध अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।

4- प्रकरण में तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी ने अभियुक्त बलीराम अडमें पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-341, 294, 323/34, 506 भाग-2 एवं अभियुक्त रूपलाल वरकड़े पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 324, 506 भाग-2 का आरोप विरचित कर अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया था तो अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

5- अभियुक्तगण का धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्तगण का कहना है कि वह निर्दोष हैं, उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण ने बचाव साक्ष्य देना व्यक्त किया था परंतु अभियुक्तगण ने बचाव साक्ष्य नहीं दी है।

6- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित है:-

1. क्या अभियुक्त बलीराम अडमें ने घटना दिनांक-02.05.2012 को शाम 5:00 बजे, थाना बैहर अंतर्गत किसन गोंड के मकान के सामने रोड़ पर फरियादी यशोदाबाई को जिस दिशा में उसे जाने का अधिकार था, उस दिशा में जाने से रोककर सदोष अवरोध कारित किया था ?

2. क्या अभियुक्तगण रूपलाल वरकड़े एवं बलीराम अड़में ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी यशोदाबाई को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया था ?
3. क्या अभियुक्त बलीराम अड़में ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर अन्य अभियुक्तगण के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में आहत यशोदाबाई को लकड़ी व हाथ-मुक्के से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की थी ?
4. क्या अभियुक्त रूपलाल वरकड़े ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत यशोदाबाई को दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की थी ?
5. क्या अभियुक्तगण ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?

—:विवेचना एवं निष्कर्ष :-

7. प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस कारण सभी विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 8— यशोदाबाई अ.सा.06 का कहना है कि वह अभियुक्तगण को जानती हूँ। घटना वर्ष 2012 की हैं। घटना के समय शाम चार-पांच बजे साक्षी नशामुक्ति अभियान से लौटकर उसके घर आयी थी, दुकान पर सामान लेने के लिए जा रही थी उसी समय बीच चौराहे पर साक्षी को अभियुक्तगण ने पकड़ लिया था एवं साक्षी को छिनाल, कुतिया की गंदी गंदी गालियां दी थी। जो साक्षी को सुनने में बुरी लगी थी। अभियुक्त रूपलाल ने साक्षी की जाँघ में काट लिया था। अभियुक्त बल्ली ने साक्षी को पकड़ रखा था। घटना के समय चंडीप्रसाद ने बीच बचाव किया था। साक्षी ने घटना की रिपोर्ट प्र.पी.07 पुलिस थाना में लिखाई थी। पुलिस ने साक्षी का मेडिकल परीक्षण कराकर साक्षी की निशांदेही पर घटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी.08 बनाया था। पुलिस ने साक्षी के बयान लिए थे।
- 9— चंडिकाप्रसाद राहंगडाले अ.सा.01 का कथन है कि उसके सामने घटना नहीं हुई थी। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी से

सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने प्र.पी.01 के पुलिस कथन का ए से ए भाग पुलिस को देने से इंकार किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त रूपलाल एवं बलीराम उसके गांव के हैं।

10— तुफानसिंह अ.सा.03 का कथन है कि उसे घटना की जानकारी नहीं है। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी की साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे अभियोजन पक्ष के प्रकरण की घटना का समर्थन होता हो।

11— गोविंदराम अ.सा.02 का कथन है कि उसके सामने घटना नहीं हुई थी। उसके सामने अभियुक्तगण को गिरफ्तार नहीं किया गया था। अभियुक्त बलीराम के गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.02 एवं अभियुक्त रूपलाल के गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.03 पर साक्षी ने क्रमशः ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखी थी। पुलिसवालों के कहने पर उसने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए थे।

12— चिकित्सक आर.के.चतुर्वेदी अ.सा.04 का कहना है कि दिनांक 03.05.2012 को पुलिस थाना बैहर से आरक्षक 1056 आहत यशोदाबाई को मेडिकल परीक्षण के लिए उनके पास लेकर आया था। मेडिकल परीक्षण में चिकित्सक ने आहत यशोदाबाई को निम्न उपहतियां पायी थीं— चोट क01—एक खरौंच जो सामानांतर किस्म की होकर एक दूसरे के समान थी। बायीं जांघ पर इलेक्ट्रिकल नेचर की चोट थी जिसका आकार दो इंच गुणा एक इंच किनारों से एब्रेजन टेपर्ड, एब्रेजन में खून जमा हुआ था। चोट क02— एक एब्रेजन जो सामानांतर किस्म की होकर इलेक्ट्रिकल नेचर की थी। उसके किनारे टेपर्ड, गर्दन पर था, चमड़ी तक डीप में था। एब्रेजन में खून जमा हुआ था। चिकित्सक के मतानुसार दोनो चोट दांत द्वारा पहुंचाई गयीं होकर परीक्षण के समय 24 घण्टे के अंदर की होकर साधारण प्रकृति की थीं। चिकित्सक की परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.06 है जिसके ए से ए भाग पर चिकित्सक साक्षी के हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में चिकित्सक ने यह स्वीकार किया है कि खुरदुरी सतह पर किसी को पटक दिया जाए या शरीर के अन्य भाग पर मारपीट की जाए तो शरीर के अन्य भाग पर भी चोट आना स्वाभाविक है। चिकित्सक ने सुझाव में यह अस्वीकार किया है कि उनके द्वारा आहत का परीक्षण किए बिना पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर रिपोर्ट दी थी।

13— रामभजन साहू प्रधान आरक्षक अ.सा.05 का कहना कि दिनांक 03.05.2012 को उन्होंने फरियादी यशोदाबाई की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्र. 64/12 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.07 लेखबद्ध की थी जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के एवं बी से बी भाग पर फरियादिया यशोदाबाई के हस्ताक्षर हैं।

14— उभयपक्ष के तर्कों पर विचार किया गया। प्रकरण में फरियादिया यशोदाबाई अ.सा.06 ने उसकी साक्ष्य में चौराहे पर सभी अभियुक्तगण द्वारा उसे रोकने के बारे में बताया है। इस संबंध में प्रकरण के किसी स्वतंत्र साक्षीगण ने कोई कथन नहीं किए हैं। फरियादिया की प्र.पी.07 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह लिखा है कि अभियुक्त बलीराम द्वारा फरियादिया का रास्ता रोका था। फरियादिया की साक्ष्य एवं प्र.पी.07 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में फरियादिया का रास्ता सभी अभियुक्तगण द्वारा रोकने के संबंध में विरोधाभास है। अभियुक्त बलीराम द्वारा फरियादिया का रास्ता रोकने की किसी साक्षी से असमर्थित साक्ष्य पर कोई विश्वास करने का आधार प्रकट नहीं होता है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित नहीं माना जाता है कि अभियुक्त बलीराम ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया को जिस दिशा में उसे जाने का अधिकार था उस दिशा में जाने से रोककर उसका सदोष अवरोध कारित किया था।

15— प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा फरियादिया को अश्लील गालियां दिए जाने का प्रश्न है इस संबंध में फरियादिया ने मुख्य परीक्षण में अश्लील शब्दों के बारे में बताया है। परंतु प्रतिपरीक्षण की कंडिका-4 में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण कौन सी गालियां दे रहे थे वह बता नहीं सकती है। प्र.पी.07 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में फरियादिया ने अभियुक्त रूपलाल के द्वारा किसी प्रकार की गाली देने के बारे में नहीं लिखाया था। प्रकरण के स्वतंत्र साक्षी चंडिकाप्रसाद अ.सा.01, गोविंदराम अ.सा.02, तूफानसिंह अ.सा.03 ने उनकी साक्ष्य में किसी भी अश्लील शब्द के बारे में नहीं बताया है। फरियादिया ने प्रतिपरीक्षण में मुख्य परीक्षण के विपरीत कथन किए हैं। इस कारण प्रकरण की फरियादिया एवं स्वतंत्र साक्षीगण की साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं माना जाता है कि अभियुक्त रूपलाल एवं अभियुक्त बलीराम ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे क्षोभ कारित किया था।

16— प्रकरण की फरियादिया यशोदाबाई अ.सा.06 ने उसकी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि अभियुक्तगण ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी।

चंडिकाप्रसाद अ.सा.01, गोविंदराम अ.सा.02, तूफानसिंह अ.सा.03 ने उनकी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि अभियुक्तगण ने फरियादिया को उनके सामने जान से मारने की धमकी दी थी। प्रकरण की फरियादिया एवं स्वतंत्र साक्षीगण की साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं माना जाता है कि अभियुक्त रूपलाल एवं अभियुक्त बलीराम ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया को संत्रास कारित करने के आशय से उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया था।

17— प्रकरण में यशोदाबाई अ.सा.06 ने उसकी साक्ष्य में यह बताया है कि अभियुक्त बलीराम ने उसे घटना के समय पकड़कर रखा था एवं अभियुक्त रूपलाल ने उसे जांघ पर दांत से काट लिया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्तगण के द्वारा उसे पटकने से उसके सिर, पीठ, कोहनी, कमर पर चोट आयी थी। अभियुक्त रूपलाल ने उसे रोड़ पर पथरीली जगह पर पटक दिया था। अभियुक्त रूपलाल ने उसे बायीं भुजा में नहीं काटा था। अभियुक्त रूपलाल ने उसके साथ मारपीट नहीं की थी। परंतु प्र.पी.07 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह लिखा है कि अभियुक्त बलीराम ने फरियादिया को जमीन पर पटका था एवं हाथ मुक्कों से मारपीट की थी एवं अभियुक्त रूपलाल ने दांत से बायीं भुजा एवं बायीं पैर की जांघ में काट लिया था। फरियादिया की प्रतिपरीक्षण की साक्ष्य एवं प्र.पी.07 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त रूपलाल के द्वारा फरियादिया को दांत से काटने के संबंध में विरोधाभास है एवं फरियादिया को सभी अभियुक्तगण ने पटका था इस संबंध में विरोधाभास है एवं फरियादिया को चोट किस प्रकार आई थी इस संबंध में विरोधाभास है। फरियादिया ने उसके प्रतिपरीक्षण में सभी अभियुक्तगण द्वारा लकड़ी से मारने के बारे में बताया है परंतु प्र.पी.07 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह नहीं लिखा है कि अभियुक्त बलीराम एवं अभियुक्त रूपलाल ने फरियादिया को लकड़ी से मारा था। फरियादिया की साक्ष्य एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त बलीराम एवं अभियुक्त रूपलाल द्वारा फरियादिया को लकड़ी से मारने के संबंध में विरोधाभास है। फरियादिया ने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि अभियुक्त रूपलाल ने उसे बायीं भुजा में नहीं काटा था एवं उसके साथ मारपीट नहीं की थी। जबकि प्र.पी.07 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह लिखा है कि फरियादिया को अभियुक्त रूपलाल ने दांत से बाईं भुजा, बाएं पैर के जांघ में काटा था। फरियादिया की साक्ष्य एवं प्र. पी.07 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त रूपलाल द्वारा फरियादिया को बाईं

भुजा में दांत से काटने के संबंध में विरोधाभास है। फरियादिया ने उसके प्रतिपरीक्षण में यह भी बताया है कि प्र.पी.07 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं प्र.डी.01 के पुलिस कथन में बाईं भुजा में दांत से काटने की बात गलत लिखी है। फरियादिया ने उसकी साक्ष्य में यह बताया है कि अभियुक्त रूपलाल ने उसे जांघ में काटा था। परंतु प्र.पी.07 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह लिखा है कि अभियुक्त रूपलाल ने फरियादिया को बायें पैर की जांघ में काटा था। फरियादिया की साक्ष्य एवं प्र.पी.07 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त रूपलाल द्वारा फरियादिया के बायें पैर की जांघ में काटने के संबंध में विरोधाभास है।

18— फरियादिया यशोदाबाई अ.सा.06 ने उसकी साक्ष्य में यह बताया है कि प्र.पी.07 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं प्र.डी.01 के पुलिस कथन में अभियुक्त बलीराम द्वारा उसे पटकने के बाद सुशीलाबाई लकड़ी लेकर आई थी फिर अभियुक्त रूपलाल आया था वह गलत लिखी है। फरियादिया स्वयं ने प्र.पी.07 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं प्र.डी.01 के पुलिस कथन में अभियुक्त बलीराम द्वारा उसे जमीन पर पटका था वह गलत बताया है। ऐसी स्थिति में फरियादिया की साक्ष्य संदिग्ध दर्शित होती है। प्रकरण के किसी स्वतंत्र साक्षीगण ने फरियादिया के साथ हुई मारपीट के बारे में नहीं बताया है। फरियादिया ने अभियुक्तगण को प्रकरण में फंसाने के लिए बड़ा चड़ाकर कथन किए हैं। फरियादिया के मुख्य परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में विरोधाभास है। फरियादिया की साक्ष्य से प्र.पी.07 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं उसके साथ हुई मारपीट की घटना की पुष्टि नहीं होती है। प्रकरण में फरियादिया एवं प्रकरण के स्वतंत्र साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त बलीराम अड़मे ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर अन्य अभियुक्तगण के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में आहत यशोदाबाई को लकड़ी व हाथ-मुक्के से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की थी एवं अभियुक्त रूपलाल बरकड़े ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत यशोदाबाई को दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की थी।

19— प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में अभियोजन पक्ष अभियुक्त बलीराम अड़मे के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-341, 294, 323/34, 506 भाग-दो के अपराध का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त बलीराम अड़मे को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-341, 294, 323/34, 506 भाग-दो के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है एवं प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में

अभियोजन पक्ष अभियुक्त रूपलाल वरकड़े के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 294, 324, 506भाग-दो का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त रूपलाल वरकड़े को भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 294, 324, 506भाग-दो के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

20- प्रकरण में अभियुक्तगण का धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे।

21- अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जावे।

22- प्रकरण में अभियुक्त सुशीलाबाई फरार घोषित है। इस कारण प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण नहीं किया गया है। प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से टीप लगाई जावे कि प्रकरण में अभियुक्त सुशीलाबाई फरार घोषित है। इस कारण प्रकरण को नष्ट नहीं किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(दिलीप सिंह)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, तहसील बैहर,
जिला-बालाघाट म.प्र.

(दिलीप सिंह)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, तहसील बैहर,
जिला-बालाघाट म.प्र.

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमा)